

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ दण्डिक अपील संख्या 482/1987

कालूसिंह बनाम राजस्थान राज्य ।

निर्णय दिनांक :

30 जून, 2009

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रिनेश गुप्ता उप0

राजस्थान राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार उप0

न्यायालय द्वारा-

1- यह अपील, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड के निर्णय दिनांक 18/11/1987 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी कालूसिंह को अपराध धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता में पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 5 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से एवं धारा 331 भारतीय दण्ड संहिता में तीन वर्ष के कठोर कारावास, 300/- रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

2- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को सुना एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया।

3- इस प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रिनेश गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि वे दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि न्यायालय से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि यह प्रकरण दिनांक 5/9/84 का है जो कि आज से लगभग 25 वर्ष पुराना है। अपीलार्थी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है तथा उसके विवाह योग्य पुत्र व पुत्रियां हैं तथा उसकी पारिवारिक स्थिति दयनीय है। अपीलार्थी का यह पहला अपराध है और वह इस प्रकरण में 80 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है और उसने यह अवधि अपने द्वारा कारित किये गये अपराध के प्रति प्रायश्चित्त करने में व्यतीत की है। उनका कथन है कि अपीलार्थी एवं उसके परिवार के भविष्य को मध्यनजर रखते हुए, उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे और यदि न्यायालय उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना उचित नहीं समझता है तो ऐसी स्थिति में उसे भुगती हुई सजा पर छोड़ा जावे। इस संबंध में उन्होंने न्यायालय का ध्यान नायबसिंह बनाम पंजाब राज्य [1986 Cr.L.J.2061] वाले दृष्टान्त की ओर भी आकर्षित किया।

4- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का घोर विरोध किया।

5- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों

को देखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त-अपीलार्थी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना न्यायोचित नहीं है। लेकिन अभियुक्त-अपीलार्थी को, उसके द्वारा 80 दिन न्यायिक अभिरक्षा में बिताये गये समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उसे भुगती हुई सजा पर छोड़ा जाना उचित है।

6- अतः यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी कालूसिंह को भुगती हुई सजा पर छोड़ा जाता है। उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। लेकिन अपीलार्थी को पांच हजार रुपये दण्ड के रूप में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड के समक्ष पांच महीने के भीतर-भीतर जमा कराने होंगे और उक्त राशि जमा होने के पश्चात नियमानुसार मजरूब छतरसिंह को दे दी जावे। अगर अपीलार्थी उक्त पांच हजार रुपये की राशि पांच महीने के भीतर-भीतर जमा नहीं कराता है तो वह एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा और भुगतेगा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड के निर्णय दिनांक 18/11/1987 को उपरोक्त प्रकार से रुपान्तरित किया जाता है।

(महेशचन्द्र शर्मा)

न्यायाधिपति

/राम/

